न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश कुमार चौधरी, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली)

वाद संख्या:– 120/प्रा0पत्र/2019

1. **किरण यादव आयु 35 वर्ष पत्नी स्व0 श्री विकास यादव जाति अहीर (यादव) निवासी गेट नं0 3 रजत गृह कॉलोनी नैनवा रोड बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी।**

प्रार्थीयां

बनाम

1. **राजस्थान राज्य सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब हिण्डोली, तहसील हिण्डोली, जिला–बून्दी।**

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा :– 135, 136 एल.आर.एक्ट

प्रार्थी अधिवक्ता – श्री दशरथ सिंह
अप्रार्थी – पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक :– 11/08/2021

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि खेवट खतोनी संख्या नया 38 पुराना 34 की कृषि भूमि खसरा संख्या 645 रकबा 8 बीघा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 645/984 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 645/985 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम धाबाईयों का नयागांव पटवार हल्का धाबाईयों का नयागांव, भू0अभि0नि0 क्षेत्र दबलाना तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विस्थित है। उक्त भूमि के राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी में प्रार्थीयां के पति विकास यादव (गलत नाम अशुल) आ0 जगदीश का संयुक्त हिस्सा 7/30 अंकित है। जमाबंदी संवत 2074 से 2077 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। इसी प्रकार खेवट खतोनी संख्या नया 35 पुराना 32 की कृषि भूमि खसरा संख्या 575 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, खसरा संख्या 583 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम धाबाईयों का नयागांव, पटवार हल्का धाबाईयों का नयागांव, भू0अभि0नि0 क्षेत्र दबलाना तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विस्थित है। उक्त भूमि के राजस्व जमाबंदी में प्रार्थीयां के पति विकास यादव (गलत नाम अंशुल) आ0 जगदीश का संयुक्त हिस्सा 7/18 अंकित है। जमाबंदी संवत 2074 से 2077 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। खाता संख्या नया 39 पुराना 35 की कृषि भूमि खसरा संख्या 564 रकबा 17 बिस्वा, खसरा संख्या 565 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा संख्या 565/935 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा संख्या 566 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 584 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, खसरा संख्या 584/936

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली (बून्दी)

रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, खसरा संख्या 653 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा, खसरा संख्या 654 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, खसरा संख्या 655 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा, खसरा संख्या 657 रकबा 11 बीघा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 658 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, खसरा संख्या 659 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 12 कुल रकबा 41 बीघा 06 बिस्वा वाके ग्राम धाबाईयों का नयागांव, पटवार हल्का धाबाईयों का नयागांव, भू0अभि0नि0 क्षेत्र दबलाना तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विस्थित है। उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में प्रार्थीयां के पति विकास यादव (गलत नाम अंशुल) आ0 जगदीश का संयुक्त हिस्सा 7/90 अंकित है। जमाबंदी संवत 2074 से 2077 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। खाता संख्या नया 37 पुराना 33 की कृषि भूमि खसरा संख्या 573 रकबा 7 बिस्वा वाके ग्राम धाबाईयों का नयागांव, पटवार हल्का धाबाईयों का नयागांव, भू0अभि0नि0 क्षेत्र दबलाना तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विस्थित है। उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में प्रार्थीयां के पति विकास यादव (गलत नाम अंशुल) आ0 जगदीश का संयुक्त हिस्सा 7/300 अंकित है। जमाबंदी संवत 2074 से 2077 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। खाता संख्या नया 36 पुराना 31 की भूमि खसरा संख्या 567 रकबा 6 बिस्वा, खसरा संख्या 656 रकबा 10 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 16 बिस्वा वाके ग्राम धाबाईयों का नयागांव, पटवार हल्का धाबाईयों का नयागांव, भू0अभि0नि0 क्षेत्र दबलाना तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विस्थित है। उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में प्रार्थीयां के पति विकास यादव (गलत नाम अंशुल) आ0 जगदीश का संयुक्त हिस्सा 7/90 अंकित है। जमाबंदी संवत 2074 से 2077 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थीयां के पति विकास यादव का पीढीवृक्ष संलग्न प्रार्थना पत्र है। पीढीवृक्ष के अनुसार प्रार्थीयां के ससुर जगदीश थे जिनकी मृत्यु दिनांक 02.03.98 को होने पर उनके स्थान पर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में विपुल पुत्र विकास यादव (का नाम गलत दर्ज अंशुल) पुत्र व विधवा पत्नी चन्द्रकलां पत्नी जगदीश का नाम फोती नामान्तकरण से दर्ज किये गए। प्रार्थीयां के पति विकास यादव की भी मृत्यु दिनांक 18.04.2017 को हो चुकी है जिनका नाम जमाबंदी में (अंशुल) गलत दर्ज हो जाने से अभी प्रार्थीयां ने फोती नामान्तकरण दर्ज नही कराया है। मृतक सहखातेदार विकास यादव (अंशुल) के प्रार्थीयां व वयस्क पुत्री नताशा यादव, अवयस्क पुत्री वानिया व अवयस्क पुत्र युगान्त यादव ही वारिसान व कायम मुकामान है। प्रार्थीयां व नाबालिग पुत्रिया व पुत्र के हितों में कोई विरोधाभास नही होने से प्रार्थीयां यह प्रार्थना पत्र अकेले ही प्रस्तुत कर रही है। प्रार्थना पत्र की चरण कम 1 लगायत 5 में वर्णित जमाबंदीयों राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीयां के पति का त्रुटिपूर्ण नाम अंशुल पि0 जगदीश राजस्व रिकार्ड में राजस्व कर्मचारी के लिपिकीय त्रुटि से अंकित हो जाने से प्रार्थीयां को उक्त जमाबन्दीयों में अपने स्व0 पति विकास यादव आ0 जगदीश के स्थान पर फोती नामान्तकरण दर्ज करवाने, सरकारी व अर्द्ध सरकारी कार्यो को करने में कठिनाई का सामना करना पडता है। प्रार्थीयां के पति विकास यादव के आधार कार्ड संख्या 566946693898 व राशन कार्ड, पहचान पत्र, प्रार्थीयां के आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं उपरोक्त कृषि भूमियों के अलावा अन्य खातेदारी की जमाबंदी खाता संख्या नया 22 पुराना 21 ग्राम रघुनाथपुरा पटवार हल्का धाबाईयों का नयागांव एवं खाता संख्या नया 17 पुराना 13 ग्राम धाबाईयों का नयागांव जमाबंदी सम्वत 2074 से 2077 में भी प्रार्थीयां के पति का सही नाम संयुक्त हिस्से में "विकास आ0

जगदीश" अंकित है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 लगायतं 5 में वर्णित कृषि भूमियों के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयों में प्रार्थीया के पति का नाम अंशुल का इन्द्राज प्रार्थीयां के पति की जानकारी में नही आने एवं राजस्व कर्मचारियों की लिपिकीय त्रुटि के कारण सहवन से दर्ज हुआ है। प्रार्थीयां को अपने पति का नाम अंशुल उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित जमाबंदीयो में अंकित होने की जानकारी नही होने के कारण इस संबंध में पूर्व में कार्यवाही नही की गई है। प्रार्थीयां द्वारा दिनांक 15.07.2019 को भी अप्रार्थी श्रीमान तहसीलदार साहब हिण्डोली को इस संबंध में निवेदन किया गया था। जिनके द्वारा बताया गया कि सक्षम राजस्व न्यायालय के आदेश से ही नाम का इन्द्राज सही हो सकेगा। यही वाद प्रस्तुति का कारण है जो निरन्तर पैदा हो रहा है। प्रार्थीयां के पति विकास यादव का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबंदीयों में गलत अंकित हो जाने से प्रार्थीयां लाभ नही मिल पा रहा है तथा प्रार्थीयां को अपने व बालिग व नाबालिग बच्चों के नाम मृतक विकास यादव आ0 जगदीश के स्थान पर फोती नामान्तकरण तस्दीक करवाने में भी परेशानी का सामना करना पड रहा है। इस कारण से प्रार्थीयां को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रार्थना पत्र के चरण कम 1 लगायत 5 में वर्णित भूमियों के राजस्व रिकार्ड में दर्ज गलत नाम अंशुल के स्थान पर सही नाम विकास यादव का अंकन करावे व इसी आशय की डिकी माननीय न्यायालय से प्राप्त करें। वाद कारण उत्पत्ति दिनांक 15.07.2019 से प्रार्थना पत्र अवधि मध्य प्रस्तुत है। कृषि भूमियां ग्राम धाबाईयों का नयागांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित होने से न्यायालय श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र के श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निश्चित कोर्ट फीस मय तलबाने पर प्रस्तुत है। राजस्थान राज्य आवश्यक पक्षकार होने से अप्रार्थी बनाये गये है। प्रार्थीयां सहखातेदार विकास यादव (अंशुल) आ0 जगदीश की विधवा पत्नी होने से वह पीडित पक्षकार होने से प्रार्थीयां को यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का विधिक अधिकार प्राप्त है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीयां द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 1 लगायत 5 में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयों में अंकित प्रार्थीयां के पति का नाम अंशुल पि0 जगदीश के स्थान पर प्रार्थीयां के पति का सही नाम विकास यादव आ0 जगदीश अंकित कर दुरूस्ती इन्द्राज करने के आदेश अप्रार्थी श्रीमान तहसीलदार साहब हिण्डोली/नायब तहसीलदार साहब दबलाना को प्रदान करे। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी सुलभ हो वह प्रार्थीयां को प्रदान की जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पेरोकार सरकार की ओर जवाब पेश कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 रेकार्ड जमाबंदी अनुसार स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 लगायत 5 व 7 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 6 वादिया स्वयं सिद्व करें। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 8 अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 9 कानूनी बिन्दु है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 10 माननीय न्यायालय का विचारणीय बि़न्दु है। ग्राम रघुनाथपुरा के संलग्न जमाबंदी पटवार हल्का रघुनाथपुरा के खाता संख्या 21 व 17 रो0जमा0 2074 से 2077 के अनुसार (अंशुल) के स्थान पर विकास किया जाना न्यायोचित होगा।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीयां की बहस सुनी। वकील प्रार्थीयां ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थीयां के पति का सही नाम

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)

विकास आ0 जगदीश यादव कोम अहीर है जो खाता संख्या 22 ग्राम रघुनाथपुरा व 17 ग्राम धाबाईयों का नयागांव में दर्ज है जो सही है। प्रार्थीयां के पति के नाम जारी राशनकार्ड, अंतरिम राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रमाण पत्र कमांक 92/0001954 उत्तर प्रदेश शासन, माध्यामिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, हाई स्कूल परीक्षा 1994 प्रमाण पत्र कमांक 0911202, पहचान पत्र भारत निर्वाचन आयोग कमांक 1YY0635680, आधार कार्ड कमांक 566946693998 व मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्ट्रेशन संख्या 08121001000000100148/2017 में भी नाम विकास आ0 जगदीश यादव ही दर्ज है व प्रार्थीयां के पहचान पत्र भारत निर्वाचन आयोग कमांक 1YY0635698 व आधार नम्बर 279338200547 में भी प्रार्थीयां के पति का नाम विकास यादव दर्ज है, जबकि प्रार्थीयां के पति के नाम सामलाती खाते की अन्य भूमियो खाता नम्बर 38, 35, 39, 36 व 37 वाके ग्राम धाबाईयों का नयागांव में प्रार्थीयां के पति का नाम अंशुल पि0 जगदीश यादव अशुद्व दर्ज है, जिसे सही कर विकास आ0 जगदीश यादव कोम अहीर शुद्व दर्ज किया जावें।

वकील प्रार्थीयां द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को व जवाब सरकार एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थीयां द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों राशनकार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र व अन्य दस्तावेजात एवं जमाबंदी खाता संख्या 22 ग्राम रघुनाथपुरा व 17 ग्राम धाबाईयों का नयागांव में प्रार्थीयां के पति का नाम विकास आ0 जगदीश यादव कोम अहीर दर्ज है, जिसे अन्य खाता नम्बर 38, 35, 39, 36 व 37 वाके ग्राम धाबाईयों का नयागांव में दर्ज अंशुल पि0 जगदीश यादव कोम अहीर के अंकन को विलोपित कर प्रार्थीयां के पति का सही नाम विकास आ0 जगदीश कोम अहीर दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीयां स्वीकार किया जाकर भूमि खाता नम्बर 35, 36, 37, 38, 39 वाके ग्राम धाबाईयों का नयागांव पं0म0 धाबाईयों का नयागांव में दर्ज अंशुल पि0 जगदीश कोम अहीर के स्थान पर विकास आ0 जगदीश कोम अहीर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल किया जावें। निर्णय की पालना हेतु नायब तहसीलदार दबलाना को तहरीर जारी की जावें। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(मुकेश कुमार चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)
हिण्डोली